



आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली

दिनांक: 13.03.2026

नोटिस

विषय: एमसीसी द्वारा आयोजित नीट एसएस एआईक्यू 2025 काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित एनबीईएमएस DrNB सुपर स्पेसियलिटी सीटों की रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग के लिए उम्मीदवारों को सलाह और निर्देश - के संबंध में।

2025 सत्र के लिए अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सुपर स्पेसियलिटी सीटों के लिए ऑनलाइन केंद्रीकृत मेरिट-आधारित काउंसलिंग की अधिसूचना चिकित्सा परामर्श समिति (MCC), DGHS (MoHFW) द्वारा जारी कर दी गई है।

सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे <https://mcc.nic.in/> पर MCC द्वारा प्रकाशित काउंसलिंग कार्यक्रम, सूचना बुलेटिन, सेवा बांड (यदि कोई हो), काउंसलिंग योजना और अन्य सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें।

इंट्रा-एमसीसी पोर्टल पर रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग स्थिति का अद्यतन: एनबीईएमएस सीटें आवंटित किए गए उम्मीदवारों को अपने आवंटित अस्पताल से यह पुष्टि करनी होगी कि संबंधित अस्पताल द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इंट्रा-एमसीसी पोर्टल पर उनकी रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग स्थिति अद्यतन कर दी गई है। यदि अस्पताल रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग स्थिति अद्यतन नहीं करता है, तो सीट रिक्त मानी जाएगी और अगले दौर के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी।

वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान: एनबीईएमएस सीटें आवंटित करने वाले उम्मीदवारों को एमसीसी अनुसूची में निर्दिष्ट जॉइनिंग/रिपोर्टिंग विंडो के भीतर एक निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से एनबीईएमएस को प्रथम वर्ष का वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना होगा। भुगतान केवल निर्धारित भुगतान गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके किया जाना चाहिए ताकि समय पर मिलान हो सके। एनईएफटी भुगतानों में मिलान में 2-3 कार्यदिवस लग सकते हैं।

[\[प्रथम वर्ष का वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क जमा करने के लिए यहां क्लिक करें\]](#)

अस्पताल, उम्मीदवार को रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग की अनुमति देने से पहले शुल्क रसीद की जाँच करेंगे। शुल्क जमा न करने की स्थिति में, आवंटित सीट रिक्त मानी जाएगी और अगले राउंड के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी।

रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग प्रक्रिया: शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवंटित अस्पताल में सभी मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करना होगा ताकि संबंधित अस्पताल द्वारा उनका सत्यापन किया जा सके। अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सा जाँच भी की जाएगी। केवल योग्य पाए जाने पर ही उन्हें ज्वाइनिंग की अनुमति दी जाएगी।

एनबीईएमएस प्रशिक्षण की आरंभ तिथि: उम्मीदवारों को एमसीसी द्वारा प्रकाशित संबंधित काउंसलिंग राउंड की रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग विंडो के भीतर अपने एनबीईएमएस प्रशिक्षण में रिपोर्ट/ज्वाइन करना होगा। रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग की तिथि में कोई विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा। जिन उम्मीदवारों का प्रशिक्षण अपग्रेड हो जाता है, उनके लिए प्रशिक्षण अवधि अपग्रेड की गई सीट पर रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग की तिथि से मानी जाएगी। यदि सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो प्रशिक्षण की गणना प्रशिक्षण शुरू होने की तिथि से की जाएगी, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में अपना कार्यभार संभालने की तिथि से।

सेवारत डॉक्टर: केंद्र सरकार/राज्य सरकार/रेलवे/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पूर्वी विज्ञान संस्थान या किसी अन्य सरकारी संगठन में कार्यरत उम्मीदवारों को एनबीईएमएस पाठ्यक्रम में शामिल होने के समय अपने मूल संगठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (अध्ययन अवकाश/सेवामुक्ति सहित) प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए। मूल संगठन से सेवामुक्त होने के बाद ही प्रवेश पर विचार किया जाएगा। सेवामुक्त होने से पहले किया गया कोई भी प्रशिक्षण अमान्य माना जाएगा।

ऑनलाइन ज्वाइनिंग और पंजीकरण पोर्टल (ओपीजेआर): एनबीईएमएस ओपीजेआर पोर्टल नीट एसएस 2025 काउंसलिंग के सभी राउंड पूरे होने के बाद सक्रिय हो जाएगा। इस बारे में एक अलग विस्तृत सूचना यथासमय प्रकाशित की जाएगी। यह पोर्टल उम्मीदवारों और अस्पतालों के लिए है ताकि वे काउंसलिंग के सभी राउंड पूरे होने के बाद एनबीईएमएस को अपनी ज्वाइनिंग स्थिति और दस्तावेज जमा कर सकें।

काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया एमसीसी से <https://mcc.nic.in/> पर संपर्क करें।

वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान/वापसी से संबंधित प्रश्नों के लिए, कृपया एनबीईएमएस से इसके संचार वेब पोर्टल के माध्यम से संपर्क करें:

<https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main>.



एनबीईएमएस



NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS IN MEDICAL SCIENCES NEW DELHI

Dated:13.03.2026

NOTICE

Subject: Advisory & Instructions to the candidates for Reporting/Joining of NBEMS DrNB Super Specialty Seats allotted through NEET-SS 2025 Counseling conducted by MCC-reg.

The Online Centralized Merit-Based Counselling for All India Quota (AIQ) Super Specialty seats for the 2025 session has been notified by the Medical Counselling Committee (MCC), DGHS (MoHFW).

All candidates are advised to carefully go through the counselling schedule, information bulletin, service bond (if any), counselling scheme, and other notices published by MCC at <https://mcc.nic.in/> and comply accordingly.

Updation of Reporting/Joining Status on Intra-MCC Portal: Candidates allotted NBEMS seats **must confirm** with their allotted hospital that their reporting/joining status has been updated on the Intra-MCC portal within the prescribed timeline by the **concerned hospital**. Failure of the hospital to update the reporting/joining status will result in the seat being treated as vacant and carried forward to the next round.

Payment of Annual Course Fee: Candidates allotted NBEMS seats are required to deposit 1st-year annual course fee to NBEMS through a designated portal within the joining/reporting window specified in the MCC schedule. Payment should be made only through the designated payment gateway using Debit Card, Credit Card, or Net Banking for timely reconciliation. NEFT payments may take 2–3 working days to reconcile.

[\[Click here to submit the 1st-year Annual Course Fee\]](#)

Hospitals will verify the fee receipt before allowing the reporting/joining of the candidate. In case of non-submission of the fee, the allotted seat shall be treated as vacant and carried forward to the next round.

Reporting/Joining Process: After successful fee payment, candidates must join/report to the allotted hospital within the prescribed timeline along with all the original documents for verification by the concerned hospital. They will also undergo a medical examination by the Medical Board of the hospital. Only those found fit will be permitted to join.

Start Date of NBEMS Training: Candidates must report/join their NBEMS training within the reporting/joining window of the respective counselling round as published by MCC. No extension in the date of reporting/joining shall be permitted. **For candidates who get upgraded, the training period will be considered from the date of reporting/joining the upgraded seat. If the seat is not upgraded, the training will be counted from the date of start of training i.e. the candidate starts his/her duties as a resident doctor.**

Inservice doctors: Candidates who are employed with central govt./state govt./railways/PSU/ESI or any other govt. organization should ensure that they have no-objection certificate including study leave / relieving from their parent organization at the time of joining the NBEMS course. **The joining shall only be considered after being relieved from the parent organization. Any training undertaken before being relieved shall be considered NULL and VOID.**

Online Portal for Joining & Registration (OPJR): **The NBEMS OPJR portal will be activated after completion of all rounds of NEET-SS 2025 counselling.** A separate detailed notice will be published in due course. This portal is meant for the candidates and the hospitals to submit their joining status and documents to NBEMS after all rounds of the counselling are over.

For further clarification regarding the counselling process, please contact MCC at <https://mcc.nic.in/>.

For queries regarding payment/refund of annual course fee, please contact NBEMS through its Communication Web Portal:

<https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main.>



NBEMS